Lt. No. — 277
Dt. 09.12.2025

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THAKUR PRASAD SINGH COLLEGE (TPS COLLEGE)

AND

NAV ASTITVA FOUNDATION (NAF)

Memorandum of Understanding

PREMABLE : The recent Indian educational policy framework, including the National Education Policy 2020, underline the need for integrating real-world exposure, practical learning, and community engagement into higher education. In alignment with this vision, Patliputra University has introduced a mandatory credit-based internship for undergraduate students, to be completed between 4th and 6th semesters, with the objective of bridging the gap between theoretical knowledge and practical experience.

To fulfil this requirement and ensure meaningful experiential learning, the College seeks to collaborate with organizations that can provide students with hands-on exposure, skill development opportunities, and a deeper understanding of social and community-based work. Non-Governmental Organizations serve as effective platforms for such engagement, offering students the chance to participate in field activities, developmental programs, and socially relevant initiatives.

This Memorandum of Understanding is therefore established to facilitate structured internship opportunities and create a framework for cooperation between the College and the NGO for the holistic development of students.

By and Between

Thakur Prasad Singh College, Patna, a premier Constituent College of Patliputra University, having its campus at MIG Rd, Chiraiyatand, Khasmahal, Mithapur, Patna, Bihar 800001, hereinafter referred to as **"TPS College"**, which expression, unless repugnant to the context or meaning thereof, shall include its successors, administrators, and permitted assigns of the First Party.

And

Nav Astitva Foundation, a non-profit and non-governmental organization registered under the Societies Registration Act, 1860 (Registration No. 3646), having its registered office at K-1, P C Colony Rd, RBI Flats Colony, Kankarbagh, Patna, Bihar 800020, hereinafter referred to as **"NAF"**, which expression, unless repugnant to the context or meaning thereof, shall include its successors, representatives, and permitted assigns of the Second Party.

Section-1.0: Definitions

For the purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MOU"), and unless the context otherwise requires, the following terms shall have the meanings assigned to them below:

Nav Astitva Foundation

Jyotsna Kumari 27.11.25

Witness

Witness

27/11/25

PRINCIPAL
T.P.S. COLLEGE, PATNA

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA ◑ 2024 ◑ 03AB 770651

प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
प.मु.वि.क्र. 8000006
21 MAY 2024
सक्षम अधिकारी

श्रीम.सुषमा चव्हाण

This Stamp Paper forms an integral part of Memorandum of Understanding by and between TPS College Patna and Aditya Birla Education Trust dated 17/06/2024.

Principal Office * T.P.S. College, Patna *

MPOWER - THE CENTRE MUMBAI

MPOWER
MIND MATTERS

MPOWER-THE CENTRE
1/155, 15, Nyaymurti Sitaram Patkar Marg,
Kharegnat Colony, Hughes Rd, Mumbai-400007.

जो क्रमांक ... Annexure - I
फक्त प्रतिज्ञापत्रांसाठी Only for Affidavit

मुद्रांक विकत घेणाऱ्याचे नाव ____________
मुद्रांक विकत घेणाऱ्याचे सहीचा पत्ता ____________
मुद्रांक विक्रिच्या नोंद वही अनु. क्रमांक ________ दिनांक ______

मुद्रांक विकत घेणाऱ्याची सही   परवानाधारक मुद्रांक विक्रित्याची सही

परवाना क्रमांक : 8000008   प्रदिप एल. चव्हाण
मुद्रांक विक्रीचे ठिकाण/पत्ता : ... मार्ग, फोर्ट. मुंबई-०१.
३/२७२, ... प्रतिज्ञापत्र सादर करणेसाठी मुद्रांक
शासकीय कार्यालयास ... ०१/०७/२००४) नुसार
... आवश्यकता नाही. ...
ज्या कारणासाठी ज्यांनी मुद्रांक खरेदी केला त्यांनी त्याच कारणासाठी
मुद्रांक खरेदी केल्यापासून ... दिवसात वापरणे बंधनकारक आहे.

1056

- 3 JUN 2024

Vishakha.

- 3 JUN 2024

Principal Office
T.P.S. College, Patna

MPOWER - THE CENTRE
MUMBAI

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding ("MOU") is made at Mumbai is entered on 17th day of June 2024

BY AND BETWEEN

TPS College, Patnaan Educational Institution registered under the 2(F) and 12(B) of UGC having its registered office at New Delhi represented herein by Director of the Institution (hereinafter referred to as **"TPS College, Patna"** which expression shall unless it be repugnant to the context or meaning thereof deemed to include its successors and assigns) of the **ONE PART**

AND

Aditya Birla Education Trust, a Charitable Trust registered under the Maharashtra Public Trust Act 1950 (erstwhile Bombay Public Trust Act 1950) having its registered office at B-4, Aditya Birla Centre, SK Ahire Marg, Worli, Mumbai – 400030 for its initiative MPower (hereinafter referred to as **"MPower"** which expression shall unless it be repugnant to the context or meaning thereof deemed to include its successors and assigns) of the **OTHER PART**

TPS College, Patna and**MPower** are hereinafter referred to as Party and collectively referred to as Parties

WHEREAS

A. TPS College Patna is a Constituent Unit of Patliputra University recognized by UGC under section 2 (F) and 12 (B) accredited with grade 'B' by NACC in 2022 (2nd Cycle).

B. Aditya Birla Education Trust through its initiative "MPower" aims to alleviate stigma related to mental illness and advocate prevention and provide services to people affiliated with mental health problems/illness. This initiative aims to create awareness, advocate prevention, foster education and provide holistic services. MPower provides various clinical and non-clinical services relating to mental health, to their client's, customers, organizations and general public

C. The College realizing the need to provide better access to quality mental health services, due to increase in the mental health problems in people of all ages have approached MPower and the Parties have mutually agreed to collaborate and co-operate to set up Mental Health Club at The College to promote Mental Health amongst students.

D. Based upon the above representations the Parties have mutually agreed to record this understanding in writing in this MOU.

NOW THEREFORE, IT IS AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. **Collaboration**
   The Parties have agreed to collaborate during the term of this MOU as per the terms and conditions set out herein and have agreed to carry out their responsibilities as set out in this MOU.

2. **Scope of Work**
   The Parties have mutually agreed to establish a Mental Health Club where the students of The College shall be the members and they shall contribute towards various mental health related

Principal Office T.P.S. College

MPOWER - THE CENTRE MUMBAI

MPOWER
MIND MATTERS
ADITYA BIRLA EDUCATION TRUST

9. Payment: Client/parent/guardian/NR is expected to pay the standard fee before each session. Mpower does not offer refund of any payment made by Clients/parents/ guardians/NRs. Failure to make a payment will result in suspension of Services until the balance is paid in full. Mpower shall not be entitled to refund or repay any amount to the Client/parent/guardian/NR paid towards Client's treatment opted under a package, incase the Client/parent/guardian/ NR discontinues with the treatment without completing the entire course of the package/sessions.
Home visits are charged differently than appointments for sessions at Mpower. Please inquire about home visit charges at the FrontDesk.

10. Insurance:Mpower does not have a cashless facility and therefore does not provide direct billing; however, receipts can be provided so that Clients/parents/guardians/NRs may submit their claim for reimbursement from their respective insurance providers.

11. Cancellation Policy and Missed Appointments: Clients/parents/guardians/NRs are requested to inform Mpower at the earliest if they are unable to keep an appointment. An appointment time is especially reserved for the Client; therefore, Mpower requires an advance notice of atleast 24 hours for cancellations or changes of scheduled appointments.
If an appointment is cancelled with less than 24 hours' notice, or if the Client fails to show up, the Client/parent/guardian/NR will be charged for the appointment. In the event of any natural disasters or other emergencies, Mpower may cancel any or all scheduled appointments by informing the Client/parent/guardian/NR via email, message, or phone call. However, the Client/parent/guardian/NR will not be charged for such cancellations.

12. Right to Deny Service:Mpower reserves the right to deny or discontinue Services with the Client, incase the Client and /or Parent/Guardian/NR misbehaves or misconducts or mistreats any personnel of Mpower or any person/staff associated with Mpower or creates an unhealthy atmosphere in the vicinity of Mpower which is likely to affect the goodwill of Mpower. Mpower may cease to provide Services to the Client, if a referral is made to inpatient treatment by Mpower Therapist/Psychiatrist, and the Client/Parent/Guardian/NR refuses that referral. Mpower may also cease to provide Services to the Client if Services at Mpower are deemed non-beneficial to the Client by Mpower Therapist/Psychiatrist for any particular reason. The Client acknowledges that referral to Mpower can be made by parents/guardians/NRs, general practitioners or any other caregivers of the Client.

These Terms shall be governed by the laws of India and any disputes arising out of the Terms shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in Mumbai.

Place: T.P.S. COLLEGE, PATNA

Date: 17.06.2024

Principal Office T.P.S. College, Patna

MPOWER - THE CENTRE

अमानत (अमीन) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना और उत्कृष्ट उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के बीच

एकरारनामा

भूमिका :

बोर्ड के द्वारा बाजार की माँग पर आधारित, ऐसे कौशल विकास क्षेत्रों की पहचान की जाती है, जिनमें प्रशिक्षित कार्यबल की निकट भविष्य में माँग तेजी से बढ़ रही है। तत्पश्चात इन कौशल विकास क्षेत्रों से संबंधित पाठयक्रम को विकसित कर, बोर्ड प्रशिक्षणार्थियों को, प्रशिक्षित कर, उस क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार की माँग को पूरा करने का प्रयास करता है और राज्य में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में सहयोग करता है।

पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि **बिहार में अमीन / अमानत से संबंधित कार्य करने वाले प्रशिक्षित कर्मियों की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है।** बिहार सरकार द्वारा भी प्रतिवर्ष भारी संख्या में प्रशिक्षित अमीनों की बहाली की जा रही है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित अमीनों की भारी कमी है और वर्ष -- 2030 तक यह कमी अत्यधिक बढ़ जाएगी। पूरे राज्य में अमीन के प्रशिक्षण हेतु उच्च कोटि का गुणवत्तापूण, मानक स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त बिहार में कोई ऐसी कोई सरकारी संस्था नहीं है जो कि इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण विशेष रूप से दे रही हो और उसके पश्चात प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा लेकर उन्हें एक सरकारी प्रशिक्षण प्रमाण--पत्र निर्गत कर रही हो जिसकी सर्वत्र मान्यता हो।

आवश्यकता :

बोर्ड के द्वारा अमानत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित गुणवत्तापूर्ण मानक स्तर का पाठयक्रम विकसित किया गया है। इसके लिए राज्य के प्रतिष्ठित उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थानों के ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का सहयोग लिया गया था जिन्हें राज्य के विश्वविद्यालयों के भूगोल विषय के स्नातकोत्तर विभाग (पी0जी0 डिपार्टमेंट), ख्यातिप्राप्त सरकारी आई0टी0आई0 एवं पोलिटेकनिक, एन0आई0आई0टी0, आई0आई0टी0 एवं अन्य विख्यात शिक्षण संस्थानों से लिया गया था। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा विकसित अमानत प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित प्रायोगिकी पाठयक्रम में कुछ ऐसे अंश हैं जिनमें प्रशिक्षण के लिए महंगे एवं आधुनिक उपकरणों एवं औजारों की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त प्रायोगिकी पाठ्यक्रम के इन अंशों में प्रशिक्षण देने के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की आवश्यकता भी है। पाठयक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में बोर्ड के द्वारा देखा गया कि उपरोक्त उच्च कोटि के उच्चतर/तकनीकी शिक्षण संस्थानों के पास अमीन पाठयक्रम की कठिन प्रायोगिकी कक्षाओं के लिए आवश्यक महँगे एवं आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध हैं और इनके पास उच्च कोटि के प्रशिक्षक भी उपलब्ध हैं, जो कि बोर्ड के द्वारा अमानत (अमीन)

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में साधारणतः उपलब्ध नहीं हैं। **अतः यह आवश्यक है कि बोर्ड के द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को, उच्च गुणवत्ता के साथ प्रभावकारी ढंग से चलाने के लिए उपरोक्त कोटि के ख्यातिप्राप्त उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सहयोग लिया जाये, जिसके लिए यह एकरारनामा बनाया गया है।**

खण्ड–क

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE), पटना .... प्रथम पक्ष।

बनाम

संबंधित ख्यातिप्राप्त उच्च शिक्षण/तकनीकी संस्थान (नाम टी० पी० एस० कॉलेज, पटना (पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना)) .... द्वितीय पक्ष।

1. बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE), पटना (प्रथम पक्ष) का उत्तरदायित्वः–

(i) बोर्ड के द्वारा द्वितीय पक्ष के सूचीबद्ध प्रशिक्षकों/शिक्षकों को प्रायोगिकी/सैद्धांतिक प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। मानदेय/राशि की सूची संलग्न है।

(ii) बोर्ड के द्वारा द्वितीय पक्ष के महंगे एवं आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयोग करने हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी के दर पर निर्धारित शुल्क द्वितीय पक्ष को दिया जाएगा।

(iii) बोर्ड के द्वारा अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों की सूची पूरी सूचना के साथ (सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी) द्वितीय पक्ष को प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से 10 दिन पहले उपलब्ध करायी जाएगी ताकि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रशिक्षण देने की रूपरेखा एवं समय सारणी बनायी जा सके। प्रशिक्षकों/शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम चलाया जा सके।

(iv) बोर्ड के द्वारा द्वितीय पक्ष को अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूर्ण पाठय सामग्री भी ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) बोर्ड के द्वारा अनुश्रवण एवं द्वितीय पक्ष की अनुशंसा पर बोर्ड के द्वारा द्वितीय पक्ष के प्रशिक्षकों/शिक्षकों को मानदेय उनके बैंक खाता में सीधे अंतरित (ट्रांसफर) किया जाएगा।

(vi) द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये सुझावों पर बोर्ड के द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता बढाने के लिए कार्य किया जाएगा और यथासंभव उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम का भाग बनाया जाएगा एवं महिला महाविद्यालयों में सिर्फ महिला छात्राओं को हीं प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(vii) प्रथम पक्ष के द्वारा 100 घंटे की प्रायोगिकी कक्षाओं में दिये गये प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने में द्वितीय पक्ष का आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाएगा। इस मूल्यांकन के क्रम में द्वितीय पक्ष के विशेषज्ञों का सहयोग देने के लिए बोर्ड के द्वारा विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा ताकि 100 घंटे के प्रशिक्षण का सही मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।

(viii) बोर्ड के द्वारा अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को दिये जाने वाले प्रमाण पत्र में द्वितीय पक्ष के सहयोग का भी सही स्थान पर उल्लेख किया जाएगा।

2. **द्वितीय पक्ष** (संबंधित ख्यातिप्राप्त उच्च शिक्षण/तकनीकी संस्थान) (नाम टी० पी० एस० कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्वविधालय, पटना)

के उत्तरदायित्वः–

(i) बोर्ड के साथ हुए करार के आधार पर द्वितीय पक्ष के संस्थान में उपलब्ध आधुनिक एवं महंगे उपकरणों को बोर्ड के साथ मिलकर चिन्हित कर प्रशिक्षण हेतु सूचिकरण करना। इन उपकरणों का उपयोग 100 घंटे की प्रायोगिकी कक्षाओं में प्रशिक्षण देने के लिए द्वितीय पक्ष के द्वारा किया जाएगा। **इसके लिए द्वितीय पक्ष को बोर्ड द्वारा प्रति प्रशिक्षु निर्धारित शुल्क दिया जाएगा।**

(ii) बोर्ड के साथ हुए करार के आधार पर द्वितीय पक्ष के संस्थान में उपलब्ध उच्च कोटि के प्रशिक्षकों/शिक्षकों की सूची बनायी जाएगी जिनका उपयोग बोर्ड के अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 100 घंटे की प्रायोगिकी कक्षाओं एवं आवश्यकतानुसार **सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देंगे।**

(iii) बोर्ड के अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 100 घंटे की प्रायोगिकी कक्षाओं के प्रशिक्षण में आश्यकतानुसार सैद्धांतिक भागों के शिक्षण के लिए भी द्वितीय पक्ष के द्वारा योग्य शिक्षकों की सूची बनायी जाएगी जो कि प्रायोगिकी के साथ–साथ आवश्यक सैद्धांतिक भाग को भी पढ़ा सके।

(iv) द्वितीय पक्ष के द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति अंकित करने के लिए आवश्यक उपकरण लगाए जाएंगे ताकि प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जा सके।

(v) द्वितीय पक्ष के द्वारा बोर्ड द्वारा आवंटित प्रशिक्षणार्थियों के लिए समय तालिका एवं अन्य मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे ताकि 100 घंटें का प्रायोगिकी प्रशिक्षण एवं उसके कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निश्चित समय सीमा के अन्दर समाप्त किया जा सके।

(vi) द्वितीय पक्ष को बोर्ड द्वारा आवंटित प्रशिक्षणार्थियों के 100 घंटे की प्रायोगिकी के प्रशिक्षण के पश्चात उसके मूल्यांकन में भी बोर्ड के साथ मिलकर कार्य करना होगा।

(vii) द्वितीय पक्ष के द्वारा आवश्यकतानुसार सैद्धांतिक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सहयोग लिया जाएगा और **इसके लिए एक निश्चित मानदेय प्रति छात्र द्वितीय पक्ष को भुगतान किया जाएगा।**

(viii) द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रायोगिकी प्रशिक्षण देने के क्रम में प्राप्त अनुभव के आधार पर बोर्ड को समय समय पर अपने बहुमूल्य सुझाव भी देने होंगे जिससे की प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी रूप से और अधिक सुदृढ़ किया जा सके और पाठयक्रम का स्तर भी सुधारा जा सके। द्वितीय पक्ष के शिक्षाविदों एवं अन्य **विशेषज्ञों को बोर्ड के इस पाठ्यक्रम के** विकास एवं सुधार के लिए सहयोग देना **होगा जिसके लिए बोर्ड के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाएगा और** उचित मानदेय दिया जाएगा।

3. **विलंब**

द्वितीय पक्ष एक सौ घंटे की गुणवत्तापूर्ण प्रायोगिकी प्रशिक्षण बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार ससमय संचालित करेंगे।

4. **दायित्वों की रिर्पोटिंग**

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार द्वितीय पक्ष प्रतिवेदन एवं दस्तावेजों को देना सुनिश्चित करेगा।

5. **विवादों का निपटारा**

MOU या उसकी व्याख्या के संबंध में होनेवाले विवादों का निपटारा दोनों पक्षों के द्वारा सौहार्दयपूर्ण तरीके से किया जायेगा।

6. **प्रशिक्षण कार्यक्रम--वित्तीय प्रबंधन**

प्रशिक्षण हेतु प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जाने वाला शुल्क संलग्न तालिका के अनुसार होगा।

7. **बाध्यकारी परिस्थितियाँ**

आग, युद्ध, दंगों, हड़तालों, प्राकृतिक अपदाओं आदि के किसी भी कारण से उत्पन्न परिस्थितियों के समय अनुबंध के नियमों और शर्त्तों को पूरा न करने पर दोनों पक्ष इसके लिए परस्पर जवाबदेह नहीं होंगे।

8. **समझौते का उल्लंघन**

द्वितीय पक्ष यदि बोर्ड द्वारा निदेर्शित गुणवत्ता सेवाओं को प्रदान करने में असफल रहेगा या समझौते के किसी भाग का उलंघन करेगा तो समझौते को समाप्त करने का अधिकर प्रथम पक्ष, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के पास रहेगा।

9. **वैधता की अवधि**

यह समझौता दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षर करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए मान्य होगा। इस समझौते के किसी भी पहलू के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी की विवाद को आपसी परामर्श और समझौते के माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा सुलझाया जायेगा।

10. **समझौता एवं संशोधन**

यह MOU दोनों पक्षों के बीच इस विषय पर सभी जानकारियों को परिलक्षित करता है और पूर्व में दोनों पक्षों के बीच हुए किसी भी प्रकार के विचारविमर्श, लिखित एवं मौखिक, समझौतों को खारिज करता है। इस MOU में कोई संशोधन तबतक प्रभावी नहीं होगा जबतक दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित न हो।

11. **लागू कानून**

यह एकरारनामा भारत के कानूनों के अंतर्गत लागू एवं व्याख्यायित किया जायेगा। गवाह के रूप में संबंधित पक्षो के अधिकृत प्रतिनिधियों में लिखित तारीख को अपना हस्ताक्षर MOU पर किया।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE), पटना।	टी० पी० एस० कॉलेज, पटना (पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना)
हस्ताक्षर [signature]	हस्ताक्षर [signature] 18.3.21 Principal T.P.S. College, Patna
नाम-- बालेश्वर प्रसाद यादव	नाम-- प्रो०(डॉ०) उपेन्द्र प्रसाद सिंह
पदनाम-- वरीय कार्यपालक पदा० BBOSE, पटना	पदनाम-- प्रधानाचार्य टी० पी० एस० कॉलेज, पटना
गवाह का हस्ताक्षर 1. [signature] 2.	गवाह का हस्ताक्षर 1. Dr. UDAY KUMAR [signature] 18/03/2021 2. Dr. KRISHNANDAN PRASAD [signature] 18.3.21

Department of Geography
T.P.S. College, Patna

PAPER-IV : PRACTICAL		100 (Hours)	90 (Marks)
6.	**THEODOLITE SURVEY**		
6.1	Practice in setting up a theodolite and taking readings.		
6.2	Practice for Measurement of horizontal angles using theodolite.		
6.3	Practice for Measurement of vertical angles using theodolite.		
6.4	Conduct a close traversing over a given area using theodolite.		
7.	**MEASUREMENT AND MARKING OF JOB LAYOUT**		
7.1	House lay-out & base line measurement and carry out marking job layout on the ground of the building mentioning size of the room.		
8.	**MODERN SURVEY EQUIPMENTS**		
8.1	Demonstration of ETS, EMD, GIS & GPS or DGPS.		
8.2	Conduct Survey work of a given area using atleast any of the following ETS, EMD, GIS & GPS or DGPS.		
9.	**COMPUTER & INTERNET**		
9.1	Prepare a word file and an excel sheet as per supplied document.		
9.2	Search on the internet about aerial and satellite survey and get it printed in a documented format and also prepare report on it using MS Word.		

Fees/Honorarium

To be paid by the Board for the services rendered by the collaborating Institutions under Amanat Training Programme.

1. **Practical training of the trainees under this programme will be conducted at three institutions.**

(a) **Advanced Practical training at Higher Educational/Technical Institution**

100 hours training (01 class of 2 hours)

Instructors	-	Rs. 700 × 50 classes	-	Rs. 35,000
Conveyance	-	Rs. 200 × 50 classes	-	Rs. 10,000
Equipment	-	Rs. 500 Per Student	-	Rs. 25,000
Co-ordinators	-	Rs. 100× 50 students	-	Rs. 5,000
Miscellaneous (For Office Assistant & Peon)	-	Rs. 100× 50 students	-	Rs. 5,000
			=	Rs. 80,000

(b) **Practical training with Circle Officer's office, Govt. of Bihar.**

70 hours (Class of Two hours = 35 Classes total)

	35 classes × Rs. 500	= Rs. 17,500
Co-ordinator		= Rs. 2,500
Miscellaneous		= Rs. 2,500
	Total	= Rs. 22,500

(c) **Basic Practical Training at Study Centre**

70 hours (Class of Two hours = 35 Classes total)

35 classes× Rs.500 = Rs. 17,500

Total cost of Practical Training (a+b+c) = Rs. 1,20,000/-

2. **Payment to Study Centers**

Theory Classes = 160 hours × Rs. 500 = Rs. 80,000

3. **Payment of Study Center Lump sum**

Miscellaneous (Rs. 100 per Student) = Rs. 50,000

Total cost of Training (1+2+3) = Rs. 2,50,000/-